रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 16, 2018/पौष 26, 1939
No. 216] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 16, 2018/PAUSHA 26, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2018

का.आ. 242(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1395(अ), तारीख 28 मई, 2014 और का.आ. 2290(अ), तारीख 21 जुलाई, 2017 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 0.000 कि.मी. से 122.880 कि.मी. और 144.500 कि.मी. से 153.034 कि.मी. (जैसलमर-बाड़मेर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011 और सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 02(अ) तारीख 29 दिसम्बर, 2014 सा.का.नि. 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 08 जून, 2016 और सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 02 दिसम्बर, 2016 और सा.का.नि. 248(अ) तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा संशोधन किए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथा-संशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (नया रारा संख्या – 68) के जैसलमर - बाड़मेर खंड के 0.000 कि.मी. से 122.880 कि.मी. और 144.500 कि.मी. से 153.034 कि.मी. तक सड़क खंड की निवल लंबाई 119.013 किमी {0.167 किमी की संरचना को छोड़कर (जिनकी लंबाई 60 मी से अधिक है) 1.67 किमी की समकक्ष लंबाई सहित} के उपयोग के लिए पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के खंड के लिए सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" कहा गया है) के 60% दर से तथा चार लेन के खंड की 7.584 किमी लंबाई [0.640 किमी की संरचना को छोड़कर (जिनकी लंबाई 60 मी से अधिक है) 6.40 किमी की समकक्ष लंबाई सहित] के उपयोग के लिए नीचे सारिणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों के 100% की दर पर और बाइपासों की 4.01 किमी लंबाई हेतु सारिणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों के 90% की दर पर शुल्क उद्ग्रहण करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क संग्रहके लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारिणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
जैसलमेर जिले में कैर फ़कीर की धानी गाँव के निकट रारा-15 (नया रारा-68) के 44.160 किमी पर डिज़ाइन चैनेज(वर्तमान चैनेज 45.154 किमी)	64.950	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %
	1.040	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
बाड़मेर जिले में नींबसर गाँव के पास रारा-15 (नया रारा-68) के 104.893 किमी पर, डिज़ाइन चैनेज(वर्तमान चैनेज 105.586 किमी)	54.063 (नीचे पैरा-3 में दर्शायी गईं संरचनाओं की 0.167 किमी. की लंबाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %
	6.544 (नीचे पैरा-3 में दर्शायी गईं संरचनाओं की 0.640 किमी. की लंबाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों), जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की निवल लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
		लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
जैसलमेर जिले में कैर फ़कीर की धानी गाँव के निकट रारा-15 (नया रारा-68) के 44.160 किमी पर डिज़ाइन चैनेज (वर्तमान चैनेज 45.154 किमी)	रारा-15 के जैसलमेर बाइपास के 0.000 किमी डिज़ाइन चैनेज पर (विद्यमान चैनेज – नया संरेखण) से शुरू होकर और 4.010 किमी डिज़ाइन चैनेज (विद्यमान चैनेज 4.994 किमी) पर मिलते हुए।	4.01	10.650	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 90% (अर्थात ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों के 60% का 1.5 गुना)

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं* की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है।
बाड़मेर जिले में नींबसर गाँव के पास रारा-15 (नया रारा-68) के 104.893 किमी पर, डिज़ाइन चैनेज (वर्तमान चैनेज 105.586 किमी)	0.167 किमी	1.67	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 60 %
	0.640 किमी	6.40	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %
	कुल लंबाई	8.07	

60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम सं.	60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाएं	
	संरचना का अवस्थान (चैनेज किमी)	लंबाई(मी.)
1.	119.750 (2 लेन)	0.167
2.	151.314 (4 लेन)	0.280
3.	152.550 (4 लेन)	0.360
	कुल	**0.807**

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2017-18 के लिए मासिक पास की दर 245.00/- रुपए (दो सौ पैतालीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चैबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटाया नहीं जाता।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारिणी-1 में यथा – उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा खण्डों की

पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 450.46 करोड़ रुपए है। पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगी सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत अलग से अधिसूचित की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा वसूल किए गए प्रयोक्ता शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकॉर्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/680/सीओ/17-18/जीसी जैसलमेर-बाड़मेर सेक्शन]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2018

S.O. 242(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 1395(E), dated 28th May 2014 and S.O. No. 2290(E), dated 21st July 2017 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km. 0.000 to km. 122.880 & km. 144.500 to km 153.034 (Jaisalmer-Barmer Section) of National Highway No. 15 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, *vide* G.S.R. 838(E), dated the 5th Dec, 2008, and amended *vide* G.S.R. 950(E), Dt 03.12.2010, G.S.R. 15(E), Dt. 12.01.2011 and G.S.R. 756(E), Dt. 12.10.2011, G.S.R 778(E), dated 16th December, 2013, G.S.R. 26(E), dated 16th January, 2014, G.S.R. 831(E), dated 21st November, 2014, G.S.R. 2(E), dated 29th December, 2014, G.S.R. 220(E), dated 23rd March, 2015, G.S.R. 585(E), dated 08th June, 2016, G.S.R. 1114(E), dated 2nd December, 2016 and G.S.R. 248(E), dated 14th March, 2017 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 119.013 km. {excluding 0.167 Km. of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 1.67 km} (hereinafter referred to as "base rate") for use of the Two Lane with paved shoulders section and at 100% of the base rate specified in column (2) in Table 1 on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below for 7.584 km. {excluding 0.640 Km. of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 6.40 km.} length of four lane section and bypasses having a length of 4.01 Km. at 90% of the base rates specified in column (2) of Table-1 below for the use of Jaisalmer-Barmer section from km. 0.000 to km. 122.880 & km. 144.500 to km. 153.034 (design chainages) of National Highway number 15 (New NH-68) in the State of Rajasthan and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza(s) for net road length specified for such Fee Plaza(s):

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 44.160, design chainage (at km. 45.154 existing chainage) near village Kair Fakir Ki Dhani in Jaisalmer district of NH-15 (New NH-68)	64.950	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	1.040	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 104.893, design chainage (at km. 105.586 existing chainage) near village Nimbasar in Barmer district of NH-15 (New NH-68)	54.063 (excluding 0.167 km length of structures indicated in Para 3 below)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	6.544 (excluding 0.640 km length of structures indicated in Para 3 below)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass(es) costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza(s) for net bypass(es) length specified for such Fee Plaza (s):

Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Length & Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
		Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At km 44.160, design chainage (at km. 45.154 existing chainage) near village Kair Fakir Ki Dhani in Jaisalmer district of NH-15 (New NH-68)	Jaisalmer Bypass taking off at design chainage km 0.000 (Existing Chainage- New Alignment) and merging at design chainage km. 4.010 (Existing Chainage km. 4.994) of NH-15.	4.01	10.650	90% of the base rates (i.e. 1.5 times of 60% of the base rates) mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 104.893, design chainage (at km. 105.586 existing chainage) near village Nimbasar in Barmer district of NH-15 (New NH-68)	0.167 km.	1.67	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	0.640 Km.	6.40	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Total length	**8.07**	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Structure having length more than 60 m	
	Location of Structure (Chainage Km.)	Length (Km.)
1	119.750 (2 lane)	0.167
2	151.314 (4 lane)	0.280
3	152.550 (4 lane)	0.360
Total		**0.807**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 245.00 (Rupees Two Hundred Forty Five only) for the year 2017-18 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 450.46 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/680/CO/17-18/GC Jaisalmer-Barmer Section]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.01.18 09:15:52 +05'30'